न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 152/18(प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री परसराम पिता अर्जुनलाल गाडरी निवासी जेवाणा तह.मावली। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री अर्जुनलाल पिता रोडा गाडरी निवासी जेवाणा तह.मावली।
2. श्रीमती नोजी पत्नी परशराम गाडरी निवासी जेवाणा तह.मावली।
3. श्री मथुरालाल पिता अर्जुनलाल गाडरी, निवासी जेवाणा तह.मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का जेवाणा तह.मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी, सनवाड तह.मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.11.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली के आराजी नं 759, 765, 3695/767 किता 3 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 अर्जुनलाल व बाबूलाल पिता रोडा के नाम 2/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है।
2. प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 व 3 का सजरा खानदान निम्न प्रकार पेश किया–

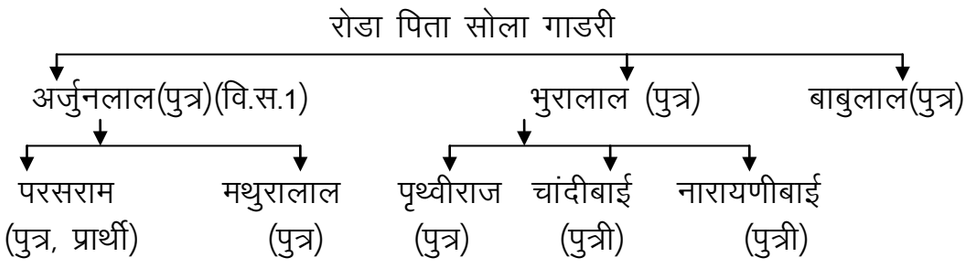

उक्त सजरे अनुसार रोडा पिता सोला गाडरी हमाने मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र अर्जुनलाल, भूरालाल एवं बाबूलाल हूवे। अर्जुनलाल के दो पुत्र परसराम प्रार्थी एवं मथुरालाल है। भुरालाल का निधन हो चुका है। जिनके वारिस पुत्र पृथ्वीराज, पुत्री चांदीबाई एवं पत्नी नारयणीबाई है। बाबूलाल जिवित है।

3. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जो पूर्व में हमारे मोरूस रोडा पिता सोला गाडरी के नाम पर दर्ज थी तथा रोडाजी के निधनोपरान्त उक्त भूमि विरासत से पुत्र विपक्षी सं. 1 अर्जुनलाल व भुरालाल, बाबुलाल के नाम पर अंकित हुई है जो हमारी पैतृक सम्पति होकर मुझ प्रार्थी को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक अधिकार

प्राप्त हो चुके है तथा मैं प्रार्थी उक्त भूमि में अपने हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा हूँ।

4. विपक्षी सं. 1 व 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है अर्थात विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में मैं प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 3 प्रत्येक उक्त भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि हमारे पिता विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा मुझ प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में विपक्षी सं. 1 ने अपने नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में से आधा अर्थात 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का विपक्षी सं. 2 के पक्ष में एवं 1/2 आधा हिस्सा विपक्षी सं. 3 के पक्ष में नुमाईशी दान पत्र सम्पादित कर दान कर दी। जबकि विपक्षी सं. 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को दान अथवा हस्तांतरित करने का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार है। विपक्षी सं. 2, 3 के पक्ष में विपक्षी ंस .1 ने जो दान पत्र सम्पादित करया है जो मुझ प्रार्थी के मुकाबले स्वतः ही बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी है। विपक्षी सं. 1 ने वाद वर्णित आराजिया तमे ंनुमाईशी दान पत्र में वर्णित हिस्सेनुसार उक्त भूमि का कब्जा विपक्षी सं. 2, 3 को नहीं दिया है क्योंकि मौके पर विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि में अपने हिस्से से अधिक अर्थात 1/3 हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज ही नहीं है तो अपने हिस्से से अधिक भूमि का कब्जा विपक्षी सं. 2, 3 को देने का प्रश्न ही नहीं उठता है और न ही अपने नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्से से अधिक भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार ही है। इसलिये मैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित पैतृक कृषि भूमि में अपने पिता विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने नाम 1/3 हिस्सा भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करान के अधिकारी है।
5. मुझ प्रार्थी का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर नुमाईशी दानपत्र से विपक्षी सं. 2, 3 के नाम दर्ज करवाने पर उतारू हो रहा है और मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि जमीन से कब्जा हटा लेना वरना जबरन ताकत के बल पर तुम्हारा कब्जा हटा देंगे। इसलिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ कि विपक्षी सं. 1 से 3 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, विपक्षी सं. 2, 3 अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे , उक्त कार्य न स्वंय करे न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादी के मार्फत ही करावे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है।
6. मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र का कारण दिनांक 12.10.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 से 3 ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी तब उत्पन्न हूआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 से 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थी को अपने हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे, रहन, बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तांतरित नही करे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वंय करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, विपक्षी सं. 2, 3 अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। विपक्षी सं. 1 से 3 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने अथवा नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 6 पंजीयन नही करे व विपक्षी सं. 4, 5 ता फैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, नामान्तरण नहीं खोले, किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।
8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। विपक्षी सं. 4 से 6 राजपैरोकार होकर औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।
10. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थना ग्रस्त भूमि में विपक्षी सं 1 प्रार्थी का पिता है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जो विपक्षी सं. 1 को भी अपने पिता रोडा से प्राप्त हुई है। चूंकि भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का हक निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. *<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति</u>–* चूंकि वाद वर्णित भूमि का खातेदार विपक्षी सं. 1 है। प्रार्थी की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थी का हक निहित है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

11. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी सं. 1 प्रार्थी का पिता होकर वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। विपक्षी को उक्त भूमि अपने पिता रोडा से प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक सम्पति है। प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से ही हित निहित है। भूमि विपक्षी के नाम होने से विपक्षी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा विपक्षी सं. 2 व 1/2 हिस्सा विपक्षी सं. 3 के पक्ष में दान करना बताया हैं जबकि उक्त भूमि में विपक्षी सं. 1 केवल अपना हिस्सा ही हस्तांतरित करने

का अधिकारी है। भूमि पैतृक होने से प्रार्थी की भूमि को विपक्षी किसी भी प्रकार से हस्तांतरण कर देता है तो इससे प्रार्थी का अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित किये गए है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में प्रार्थी के हिस्से तक की भूमि में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायहित में उचित है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली के आराजी नं 759, 765, 3695/767 किता 3 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2019.11.26 16:38:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: